कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 08/09/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एवं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 07.09.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

1.विद्युत विभाग के सर्तकता दल द्वारा मुकदमा लिखने/जेल भेजने/जुर्माना लगाने का भय दिखाकर अवैध वसूली करने वाले अभियुक्त को 13000 रू- व एक अदद मोबाइल व स्कूटी के साथ किया गया गिरफ्तार।

अपराध व अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में विगत कुछ दिनों में जनता की मौखिक/लिखित शिकायत मिल रही थी कि बिजली विभाग के सतर्कता टीम द्वारा विभिन्न जगहों पर चेकिंग के नाम पर, जेल जाने और जुर्माने का भय दिखाकर अवैध तरीके से वसूली की जा रही है। इन सूचनाओं की सत्यता जांचने/परखने हेतु एसओजी/सर्विलांस की टीम व मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया था। सूचना के पुष्टि होने पर आवेदक आशुतोष दूबे पुत्र साहब दूबे निवासी देवचन्दपुर, थाना रामपुर माझा जनपद गाजीपुर की तहरीर पर दिनांक 06.09.2025 को समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं उसके निशानदेही पर अभियुक्त वसीम रईनी पुत्र स्व0 अब्दुल्ला रईनी निवासी ग्राम मियापुरा पोस्ट सुभाष नगर थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को ओवर ब्रीज मिसरौलिया रोड गाजीपुर से गिरफ्तार करते हुए अवैध वसूली के 13000 रुपए बरामद किए गए। अभियुक्त से पूछताछ के दौरान बहुत अहम् जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इस रैकेट में जो भी शामिल होगा, उसके विरुद्ध साक्ष्य एकत्र करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः -

1.वसीम राईनी S/O स्व0 अब्दुल्ला राईनी नि0 मियापुरा (सुबाष नगर) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 29 वर्ष

बरामदगीः -

1.13000 रू- व एक अदद मोबाइल व स्कूटी

आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 0097/2025 धारा 61(2), 308(6) ,316(5) बीएनएस थाना रामपुर माझा जनपद गाजीपुर

2. थाना बरेसर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 172/25 धारा 65 (1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से संबंधित वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.09.2025 को थानाध्यक्ष बरेसर मय हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 172/25 धारा 65 (1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शुभम उपाध्याय पुत्र धनंजय उपाध्याय निवासी ग्राम सुरेमनपुर उपाध्यायपुर थाना बरेसर जनपद गाजीपुर उम्र 21 वर्ष को खारा गांव जाने वाले मोड़ पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्ताशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

1.शुभम उपाध्याय पुत्र धनंजय उपाध्याय निवासी ग्राम सुरेमनपुर उपाध्यायपुर थाना बरेसर जनपद गाजीपुर उम्र 21 वर्ष।

आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0 172/25 धारा 65 (1) बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट थाना बरेसर जनपद गाजीपुर

3. थाना खानपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 248/25 धारा 109(1)/333/115(2)/352/351(3) बीएनएस में वांछित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों की के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.09.2025 को सूचना मिली कि दिनांक 31.08.2025 को थाना क्षेत्र के ग्राम बभनौली कला में हुई मारपीट में वादी मुकदमा के पति जगदीश गिरी को जान से मारने की नियत से मारपीट कर घायल/अधमरा करने वाला अभियुक्त मुकेश गिरी उपरोक्त बिछुड़न नाथ मन्दिर से औडीहार ट्रेन पकड़ कर बाहर भागने की फिराक मे है। उक्त सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय की पुलिस बल की टीम द्वारा एकाएक दबिश देकर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरूद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1. मुकेश गिरी पुत्र राम अवतार गिरी निवासी ग्राम बभनौली कला थाना- खानपुर, गाजीपुर उम्र 24 वर्ष

अपराधिक इतिहास –

मु0अ0स0 248/25 धारा 109(1)/333/115(2)/352/351(3) बीएनएस

गिरफ्तारी का स्थान - बिछुडन नाथ मंदिर तिराहा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी - घटना में प्रयुक्त 01 अदद लकडी का डंण्डा।

4. थाना खानपुर पुलिस द्वारा मु0अ0स0 256/25 धारा 331(4)/305(a)/317(2) बीएनएस से सम्बंधित 02 चोरों को 24 घण्टे के अन्दर किया गया गिरफ्तार।

कब्जे से चोरी का सामान बरामद।

संक्षिप्त विवरण - दिनांक 06.09.2025 को श्री रामकृष्ण सिंह पुत्र स्व0 बिन्द्रा सिंह निवासी ग्राम नायकडीह थाना खानपुर जनपद गाजीपुर (प्रबन्धक बाबा किनाराम वैष्णव स्थल) द्वारा थाना खानपुर जनपद गाजीपुर पर नायकडीह गांव के ही रहने वाले पंकज कुमार के खिलाफ उक्त पूजन स्थल में लगे पीतल धातु के 16 अदद घण्टी तथा काली मन्दिर के मूर्ति में सफेद धातु चांदी के 02 नग आँख में लगा हुआ व दान पेटी मे रखा रुपया

मन्दिर का ताला तोड़कर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में तहरीर दिया गया जिसके आधार पर थाना खानपुर पर मु0अ0स0 256/25 धारा 331(4)/305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया।
अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना खानपुर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्तगण उपरोक्त को दिनांक 07.09.2025 को थाना क्षेत्र के ग्राम नायकडीह से गिरफ्तार किया गया जिनके पास मौके से 16 अदद मन्दिर के घण्टी व 252 रूपये नगद जिसे मन्दिर की दान पेटी तोड़कर चोरी किया गया था को बरामद किया गया। पकड़े गये व्यक्तियों द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया है। पकड़े गये व्यक्ति में से 01 व्यक्ति पंकज कुमार वर्ष 2021 में भी उक्त पूजन स्थल से चोरी किये जाने के मामले में जेल जा चुका है। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

1.पंकज कुमार पुत्र स्व0 बृजनाथ राम उर्फ बिन्थे निवासी ग्राम नायकडीह थाना खानपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 22 वर्ष

2.गुल्लू राम पुत्र स्व0 केदार राम निवासी ग्राम नायकडीह थाना खानपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 56 वर्ष

अभियुक्त पंकज कुमार उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0- 262/21 धारा 380/411 भादवि थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

2.मु0अ0सं0 256/25 धारा 331(4),305(क), 317(2) बीएनएस थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

अभियुक्त गुल्लू राम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास -

1.मु0अ0सं0-150/20 धारा 323, 325 504 भादवि थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

2.मु0अ0सं0 256/25 धारा 331(4),305(क), 317(2) बीएनएस थाना खानपुर जनपद गाजीपुर

बरामदगी -

1. 16 अदद पीली धातु की मन्दिर में लगी घण्टी
2. नगद 252 रूपये (अभियुक्त पंकज के कब्जे से)

5. थाना कोतवाली पुलिस द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) में प्रतिरूपण कर अपने भाई के स्थान पर परीक्षा देने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 07.09.2025 को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET-2025) के द्वितीय दिवस के प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान थाना कोतवाली को सूचना मिली कि थाना कोतवाली क्षेत्रांतर्गत परीक्षा केन्द्र एवरग्रीन पब्लिक स्कूल मीरनपुर गाजीपुर में 01 व्यक्ति प्रतिरूपण कर दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा है। सूचना पर उक्त संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उक्त पकड़े गए व्यक्ति द्वारा बताया गया कि मेरा नाम संदीप कुमार पुत्र रामाशंकर प्रसाद निवासी कोठिया थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर है मेरे द्वारा प्रतिरूपण कर मेरे खुद के भाई सौरभ प्रताप पुत्र रामाशंकर प्रसाद निवासी ग्राम कोठिया थाना दुल्लहपुर के स्थान पर परीक्षा देने आया था। उक्त अभियुक्त व सम्बंधित व्यक्ति के खिलाफ वादी - केंद्र अधीक्षक/व्यवस्थापक एवरग्रीन पब्लिक स्कूल मीरनपुर गाजीपुर श्री पार्था नंदी पुत्र श्री सुधीर चन्द्र नन्दी उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल की तहरीर पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 690/2025 धारा 319(2),318(4) बी0एन0एस0 व 7/13(3) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) अध्यादेश 2024 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता -

1. संदीप कुमार पुत्र रामाशंकर प्रसाद निवासी कोठिया थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर

आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 690/25 धारा 319(2),318(4) बी0एन0एस0 व 7/13(3) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनो का निवारण) अध्यादेश 2024 थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर